न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 114/2022

1. उम्मेदपाल मील पुत्र अमरकुमार मील जाति जाट निवासी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री सलीम खान अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 136 एल. आर.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 20.07.23

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के नाम से चक 1 एमजीडब्ल्युएम का मु0नं0 97/62 का किला नं0 1 ता 25 में कुल 6. 0697 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबे का आवंटन के समय से वादी व वादी के पिता का नाम व पता उम्मेदकुमार पुत्र अमरकुमार निवासी 74 एलएनपी के नाम से दर्ज हो गया। उक्त भूमि आवंटन करवाने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में वादी द्वारा अपना व अपने पिता का नाम उम्मेदकुमार पुत्र अमरकुमार लिखा था क्योंकि उस समय जारी वादी के मूल निवास प्रमाण पत्र में वादी व वादी के पिता का नाम उम्मेदकुमार पुत्र अमरकुमार ही था तथा उक्त भूमि के आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी व वादी के पिता का नाम व पता उम्मेदकुमार पुत्र अमरकुमार निवासी 74 एलएनपी दर्ज हो गया। वादी के समस्त दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, पहचानपत्र, जन आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक, आदि उम्मेदपाल मी पुत्र अमरकुमार मील निवासी रायसिंहनगर के नाम से बने हुए है। आवंटन के समय वादी 74 एलएनपी रहता था इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में उक्त पता है। बाद में वादी अपने परिवार सहित रायसिंहनगर निवास करने लगा तथा अब वादी के समस्त दस्तावेज रायसिंहनगर के बने हुए है इसलिए वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना पता भी दुरुस्त करवाना चाहता है। वादी ने चक 1 एमजीडब्ल्युएम का मु0नं0 97/62 का किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0697 है0 अ0क0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उम्मेदकुमार पुत्र अमरकुमार निवासी 74 एलएनपी के बजाय उमेदपाल मील पुत्र अमरकुमार मील निवासी रायसिंहनगर की घोषणा कर दुरुस्त कर अंकन करने के आदेश का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के पक्ष में नगरपालिका पार्षद की तस्दीक, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि की छायाप्रति प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट पत्रांक 321 दिनांक 17.02.23 से प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 1 एमजीडब्ल्युएम का मु0नं0 97/62 का किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0697 है0 अ0क0 रकबा उमेदकुमार पुत्र अमरकुमार जाति जाट निवासी 74 एलएनपी तहः रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। बहस सुनी गई।

पत्रावली के अवलोकन अनुसार वादी के समस्त दस्तावेज में नाम उमेदपाल मील पुत्र अमरकुमार मील जाति जाट निवासी रायसिंहनगर लिखा है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादी घोषणा के जरिये दुरुस्त के काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा चक 1 एमजीडब्ल्युएम का मु0नं0 97/62 का किला नं0 1 ता 25 में कुल 6.0697 है0 अ0क0 रकबा उमेदकुमार पुत्र अमरकुमार जाति जाट निवासी 74 एलएनपी तहः रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर के स्थान पर उमेदपाल मील उर्फ उम्मेदकुमार पुत्र अमरकुमार मील जाति जाट निवासी रायसिंहनगर दुरुस्त के आदेश किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)